दिनांकः– 30 जुलाई 2018 को आहूत प्रधान सचिव. नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में Solid Waste Manegment Rules, 2016 के अर्न्तगत गठित राज्यस्तरीय सलाहकार समिति (SLAB) की द्वितीय बैठक के वृत्त

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राज पत्र सं–असाधारण भाग II खंड 03 (II) अधिसूचना सं0–S.O 1357 (E) दिनांक–08.04.2016 के द्वारा अधिसूचित SWM त्नसम 2016 के नियम 23 में अंकित प्रावधानों के अधीन गठित राज्य स्तरीय SLAB जो विभागीय अधिसूचना सं0–153 दिनांक–24.01.2018 द्वारा अधिसूचित है।उक्त गठित State Level Advisory Body (SLAB) का द्वितीय बैठक दिनांक–30.07.2018 को अप0 12:00 बजे विभागीय सभागार कक्षमें सम्पन्न हुई। बैठक मे निम्नलिखित पदाधिकारीयोने भाग लियाः–

1. श्री चैत्नय प्रसाद, प्रधान सचिव–सह–अध्यक्ष, नगर विकास एवं आवास विभाग।
2. श्री संजय दयाल, विषेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
3. श्री सुरेन्द्र सिंह, अपर सचिव, पर्यावरण वन विभाग, बिहार।
4. श्री राजीव कुमार सिंह, राज्य समन्वयक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार।
5. श्री सुबोध कुमार, राजस्व एवं शूमि सुधार विभाग, बिहर।
6. श्री आलोक कुमार, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, बिहार।
7. श्री एस0एन0 जयसवाल, बोर्ड एनालिस्ट, राज्य प्रदूषण।
8. श्री भवानी नन्दन, मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।
9. श्री रमेश चन्द्रा, वाइस प्रेसिडेंट, बिहार इन्टस्ट्री एसोसिएशन।
10. श्री संजय दूबे, नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर, नगर विकास एवं आवास विभाग।
11. श्री मनोज कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारी शरीफ।
12. सुश्री स्वाति सम्याल, Program Manager, CSE, Delhi.
13. श्री M.S. Mourya, HOD Civil Engg. NIT, Patna.
14. श्री अनिल कुमार गुप्ता, Team Leader, SBM SPMU.
15. श्री सब्य साची साहू, SWM Expert, SPMU.
16. श्री मुन्ना कुमार, प्रतिनिधी, हरित रिसाईकलर।
17. डॉ0 असद उमर, Sr. Program Officer, आगा खान फाऊण्डेशन।
18. श्री एम0 आझा, Joint Commisioner, वाणिज्य कर विभाग।
19. श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग।
20. श्री जे0एन0 सिंह, टीम लीडर, एस0पी0एम0जी0।
21. श्रीमति इन्दु कुमारी, नोडल ऑफिसर, एस0बी0एम0 नगर विकास एवं आवास विभाग।

बैठक की कार्यवाहीः

सर्वप्रथम अध्यक्ष के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारी का स्वागत किया गया। अध्यक्ष एवं स्वच्छ भारत मिशन के SWM Expert द्वारा SWM Rules 2016 का PPT के माध्यम से समिति को प्रथम बैठक मे लिए गये निर्णयों एवं निकाय द्वारा किये गये अनुपालन के संबंध में जानकारी दी गई।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1. प्रधान सचिव द्वारा SWM–Rules,2016के अलोक में राज्य काDraft SWM–Bye-laws एवं Draft SWM–Policy को समिति (SLAB) के सामने साझा किया गया एवं उस पर विस्तृत चर्चा कि गई।

2. उपरोक्त Draft SWM–Bye-laws एवं SWM–Policy को समिति के सभी सदस्यो (Stakeholders) को भेजकर 10 दिनो के अन्दर उनके सुझाव प्राप्त करते हुए इसपर अग्रेतर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। (अनुपालनः– SBM / PMU)

3. प्रधान सचिव द्वारा सभी नगर निकायों में तत्काल आवासीय क्षेत्रो को छोड़कर बाकी सभी Bulk Garbage Generator/Institution/बड़े होटल / विवाह स्थल / RWA (Residental Welfare Association) / PSU आदि द्वारा उत्पन्न कचरो का निष्पादन अपने Premises (परिसीमा)के अन्दर on spot composting की व्यवस्था करने निदेष दिया गया।

(अनुपालनः–सभी नगर निकाय)

4. तत्काल विकल्प के रुप में Bulk Garbage Generator Segragated Waste को नगर निगम का उपलब्ध करायेंगे। जिसके लिए नगर निगम के द्वारा इस सेवा के लिए Bulk Garbage Generator से सेवा शुल्क के रुप में निर्धारित राशि की माँग की जाएगी।

(अनुपालनः–सभी नगर निकाय)

5. राज्य स्तरीय Model Bye-laws में उपरोक्त सभी Bulk Garbage Generator को अवैध तरीके से नगर निगम क्षेत्र मे कूड़ा फेंकने पर जूर्माना एवं कानूनी कारवाई का प्रवाधान रखा जाय जिसके लिए जुर्माना की राशि राज्य से ही निर्धारति करने का सुझाव प्राप्त हुआ।

(अनुपालनः–सभी नगर निकाय)

6. 100% कचरे का पृथककरण स्त्रोत पर (Source Segregation)सभी अवासीय क्षेत्रो एवं संस्थाओ को करवाने का पुनः निकायों को संसूचित करने का निर्णय लिया गया। Source Segregation करने के लिए निकायों मे भी व्यापक जन–जागरूकता फैलाने हेतु प्रचार–प्रसार करने का निर्णय लेते हुए सभी नगर निकायों को इसे प्रभावी बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–सभी नगर निकाय)

7. सभी नगर निकायों में 100% डोर– टू– डोर कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करवाने का निर्णय लिया गया । इसके लिए कचरा संग्रहण करने वाला ठेला /ट्रीपर को सूखे कचरा एवं गीला कचरा लेने के लिए अलग–अलग व्यवस्था करते हुए पुराने सभी कचरा वाहनो को सूखा एवं गीला कचरा के लिए तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–सभी नगर निकाय)

8. सभी नगर निकायो द्वारा अपने निकाय अन्तंर्गत कचरा चुनने वाले (Ragpicker), कबाड़ी खरीदने वाले, को चिन्हित कर उनका लिस्ट एवं रजिस्ट्रेसन कर ID Card जारी करने का र्निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–सभी नगर निकाय)

9. SWM-Rules 2016 में प्रावधानों के अनुकुल सभी नगर निकाय निर्धारित Form IV में अपना वार्षिक प्रतिवेदन सीधे बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को दिनांक–16.08.2018 तक निष्चित रुप से श्ेजने का निदेश दिया जाय। जिसकी एके प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालनः–सभी नगर निकाय)

10. सभी निकायों द्वारा सेनेटरी लैंडफिल के लिए जगह चयन करना है। इसके लिए विभाग द्वारा सेनेटरी लैंडफिल चयन करने के लिए निर्धारित मापदंड की आर्हता की चेक लिस्ट अलग से निकायों को श्ेजने का निर्णय लिया गया। जो निकाय इससे पहले सेनेटरी लैंडफिल के लिए जगह चयन किए है उनको मापदंड आर्हता के अनुकूल विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी नगर निकाय)

11. सभी निकायो मे चल रहे Solid Waste Managment का कार्य की समीक्षामें जिले केजिला पदाधिकारीके भागीदारी का सुझाव दिया गया । इसके लिए सभी जिलो में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में DLRM (District Level Review and Monitoring commitee) का गठन करने हेतु कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया ।

(अनुपालनः–सभी जिला पदाधिकारी / सभी नगर निकाय)

10. सभी नगर निकाय शहर की साफ सफाई के लिए लोगो में जागरूकताबढ़ाने के लिए अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार एवंप्रतियोगिता कराकर एक जन आन्दोलन का रूप देगें साथ ही साफ सफाई मे अच्छे कार्य करने वाले कर्मियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करगे।

(अनुपालनः– सभी नगर निकाय)

सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

3/8/2018

प्रधान, सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति।
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–03/SBM-01-03/2018 1827 दिनांक– 6/8/18

प्रतिलिपिः–राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित /मुख्य सचिव बिहार सरकर को सादर सूचनार्थ समर्पित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव /श्री संजय दयाल, विषेश सचिव/नोडल पदाधिकारी SBM/सभी जिला पदाधिकारी बिहार/सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/ SBM/Team Leader State PMU/Team Leader,SPMGबिहारको सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

3/8/2018

प्रधान सचिव।

C:\Users\ake\Desktop\Daily letter 2.docx66